माननीय न्यायमूर्ति *Paramjeet Singh,* के समक्ष**,**

सुरिंदर कुमार कौशल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और उत्तरदाता-उत्तरदाता

सीआरएम नं. 2012 का एम-31235

मई 07.2013

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-उपधारा। 2 (c) 7,9-लोक स्वास्थ्य विभाग से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता, अनुबंध के आधार पर हुडा द्वारा प्रबंधक जिमखाना क्लब पंचकूला के रूप में शामिल हुआ-रिश्वत लेने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी-याचिकाकर्ता ने ई 1 आर, चालान और आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत आरोप तय किया गया था-धारा 173 Cr.P.C के तहत रिपोर्ट, आदेश तैयार करने का आरोप और आरोप पत्र रद्द कर दिया गया-क्लब सहकारी समिति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है-जिमखाना क्लब सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है।

माना गया कि क्लब पीसी अधिनियम के तहत "सहकारी समिति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, विद्वान राज्य के वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी वर्तमान सहजता के तथ्यों में लागू नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता हैः

(i) जिमखाना क्लब, पंचकूला किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा नहीं बनाया गया है।

(ii) जिमखाना क्लब, पंचकूला एक गैर-स्वामित्व वाला सदस्य क्लब है। क्लब के संगठन ज्ञापन (अनुलग्नक पी-8) के अनुसार, यह एक बड़े पैमाने पर विविध गतिविधियों का आयोजन करता है जो एक स्थान या खेल और खेल, और मनोरंजन, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। जिमखाना क्लब। पंचकूला सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, बल्कि सदस्यों द्वारा चुनी गई कार्यकारी समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हुडा के अधिकारियों को भी संघ के ज्ञापन के अनुसार भुगतान पर क्लब का सदस्य बनना पड़ता है।

(iii) इस अदालत के समक्ष एकत्र किए गए और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से, इस स्तर पर इस अदालत का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि जिमखाना क्लब के कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं जैसा कि पीसी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि तथापि, अन्वेषण अभिकरण पीसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन परिभाषित सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन के संबंध में किसी साक्ष्य का पता लगाने के लिए मामले की आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा, इस आशय से कि जनता या समुदाय का बड़े पैमाने पर क्लब में हित है और क्लब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर रहा है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

परमजीत सिंह, जे,

(1) याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत त्वरित याचिका दायर की गई है। 5 दिनांक 7.7.2011, पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकूला में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (संक्षेप में Cr.P.C) आदेश दिनांक 7.9.2012 (अनुबंध पी-4) के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (अनुलग्नक पी/2) रिपोर्ट की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है और आरोप पत्र दिनांक 7.9.2012 (Annexure P-5).

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि हाउस नंबर. 1, संधू कॉलोनी, कैथल रोड, कमल जिले के निवासी हज इट सिंह ने एसएचओ, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, सेक्टर-17, पंचकूला को संबोधित एक लिखित शिकायत दायर की। उसी के आधार पर, विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज की गई और इंस्पेक्टर मदन लाल ने एक छापा मारने वाले दल का गठन किया और कैशियर वीरेंद्र सिंह से रिश्वत की राशि बरामद की और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद, Cr.P.C की धारा 173 के तहत चालान रिपोर्ट को विशेष न्यायाधीश, पंचकूला की अदालत में प्रस्तुत किया गया। विद्वत विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 9 के तहत दिनांक 7.9.2012 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश के अनुसार आरोप तय करने का आदेश दिया और तदनुसार आरोप पत्र के माध्यम से आरोप तय किया गया (Annexure P-5).

(3) प्रासंगिक तथ्य इस आशय के हैं कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, 1 मार्च 1972 में सहायक अभियंता के रूप में शामिल हुआ और अंततः 31.1.2004 को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा से अधीक्षण अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें अनुबंध के आधार पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में हुडा) पंचकूला के महासचिव-सह-राज्य अधिकारी द्वारा जिमखाना क्लब (संक्षेप में क्लब) सेक्टर-6, पंचकूला के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, पत्र दिनांक 20.06.2008 (अनुलग्नक पी-6) और याचिकाकर्ता 21.6.2008 को अपने कर्तव्य में शामिल हो गए।

(4) क्लब सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (समय-समय पर संशोधित) के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और इसके संचालन का क्षेत्र पंचकूला और आसपास के क्षेत्र हैं। समझौता ज्ञापन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां अनुबंध पी-8 और पी-9 के रूप में रिकॉर्ड पर संलग्न हैं। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि एक प्रबंधक के रूप में, वह ईमानदारी से काम कर रहा था और उसने कोई कदाचार नहीं किया था। क्लब के महासचिव ने 25.1.2011 को समाचार पत्र द ट्रिब्यून और दैनिक भास्कर में विज्ञापन दिए, जिसमें 4.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए क्लब के स्विमिंग पूल के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए विभिन्न एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की गईं। उपरोक्त विज्ञापनों के अनुसरण में, शिकायतकर्ता-हरजित सिंह (प्रतिवादी संख्या. 2) ने मेसर्स के नाम पर अपनी निविदा दी। एक्का फिटनेस एसोसिएट, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली। निविदा उक्त मेसर्स को आवंटित की गई थी। एक्का फिटनेस 1.4.2011 से 31.3.2014 रुपये के वार्षिक किराए पर। 10.80 लाख प्लस सर्विस टैक्स प्लस 10% वार्षिक वृद्धि। उपर्युक्त मेसर्स को निविदा की स्वीकृति के बारे में भी सूचित किया गया था। एक्का फिटनेस-पत्र दिनांक 23.2.2011 (अनुलग्नक पी-15) और उपरोक्त मेसर्स। एक्का फिटनेस ने क्लब के प्रबंधक के रूप में याचिकाकर्ता के साथ एक समझौता किया। यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त ने एम/एस कहा। एक्का फिटनेस सदस्यों और उनके मेहमानों से अधिक शुल्क ले रहा था और उस मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने Rs.20,000/- की राशि स्वीकार की है।इसके बाद मामला दर्ज किया गया,

जांच की गई और चालान पेश किया गया। विद्वत विशेष न्यायाधीश ने आदेश अनुलग्नक पी-4 के माध्यम से आरोप तय करने का आदेश दिया और आरोप पत्र (अनुलग्नक पी-5) तैयार किया गया। इसलिए यह याचिका है।

(5) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी। प्रस्ताव की सूचना के अनुसरण में, प्रत्यर्थी नं. 1-पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, पंचकूला के माध्यम से हरियाणा राज्य याचिका में किए गए दावों को खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, छापा मारने वाले पक्ष ने याचिकाकर्ता के कार्यालय पर छापा मारा, जहां उसे और उसके सह-आरोपी वीरेंद्र सिंह को 7.7.2011 को प्रत्यर्थी संख्या 2-हरजीत सिंह से रिश्वत के रूप में Rs.20,000/- लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और रिश्वत की राशि याचिकाकर्ता के सह-आरोपी से बरामद की गई थी, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता की ओर से प्राप्त की गई थी। उक्त वसूली नायब तहसीलदार श्री नरिंदर कुमार की उपस्थिति में की गई, जो संबंधित समय पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। विभिन्न अन्य विवरणों का उल्लेख किया गया है और कुछ तथ्य विवाद में नहीं हैं।

(6) याचिकाकर्ता ने CM No.21152of2013 के माध्यम से प्रतिकृति दायर की। वही रिकॉर्ड में लिया गया है। प्रतिकृति के माध्यम से, उत्तर में कथन को अस्वीकार कर दिया गया है।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में पीसी अधिनियम) की धारा 2 (सी) में परिभाषित एक लोक सेवक नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता पर पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और आरोप नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने पी. सी. अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है, न ही उसने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसलिए, धारा 173 Cr.P.C (अनुलग्नक पी-3) आदेश दिनांक 7.9.2012 (अनुलग्नक पी-4) और आरोप पत्र दिनांक 7.9.2012 (अनुलग्नक पी-5) के तहत रिपोर्ट कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में अवैध और विकृत तरीके से काम किया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि धारा 173 Cr.P.C, (अनुलग्नक पी-3) के तहत रिपोर्ट के अवलोकन से पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। क्लब एक सहकारी समिति नहीं है, बल्कि यह एक गैर-स्वामित्व वाला सदस्य क्लब है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया यह एकमात्र कानूनी तर्क है।

(9) इसके विपरीत, विद्वान राज्य के वकील के साथ-साथ शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया। विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उस क्लब का प्रबंधक है जिसका नियंत्रण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'यूडीए') द्वारा किया जा रहा है सोसायटी के प्रबंधन और मामलों को शासी निकाय को सौंपा गया है जिसमें हुडा के सरकारी अधिकारी, कानूनी स्मरण यूडीए शामिल हैं और इसके अलावा, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, अंबाला भी क्लब के सदस्य हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एक लोक सेवक है, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एक बार जब यह साबित हो जाता है कि भुगतान गलत और अवैध तरीकों से प्राप्त किया गया था, तो यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना चाहिए या उसे लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए धन प्राप्त करना चाहिए था।

(10) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(11) स्वीकार किए गए तथ्य इस आशय के हैं कि क्लब सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। (as amended up to date). इसका गठन किसी कानून के तहत नहीं किया गया है। क्लब के संगठन ज्ञापन (अनुलग्नक पी-8) के अनुसार, यह एक गैर-प्रांतीय सदस्यों का क्लब है, यह खेल और खेलों के लिए एक स्थान और मनोरंजन, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाली एक विशाल पैमाने पर विविध गतिविधियों का आयोजन करता है। मेहमानों को भी प्रवेश दिया जाता है, लेकिन सदस्यों के निमंत्रण पर। सदस्यता आदि के संबंध में विशिष्ट नियम हैं। अन्य विवरणों को यहाँ विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) जिस प्रश्न का समाधान किया जाना है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक है और पीसी अधिनियम के तहत अपराध का दोषी है।

(13) वाद-विवाद से निपटने से पहले, पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

(ग) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है-(i) सरकार की सेवा या वेतन में या सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन के लिए फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक पाने वाला कोई व्यक्ति; (ii) स्थानीय प्राधिकरण की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति, या सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय; (iv) कोई न्यायाधीश, जिसमें कानून द्वारा निर्वहन करने के लिए सशक्त कोई व्यक्ति भी शामिल है, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में, कोई न्यायिक कार्यः

(v) न्याय के प्रशासन के संबंध में विधिवत कार्य करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त शामिल हैं; (vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे कोई कारण या मामला न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए भेजा गया है;

(vii) कोई भी व्यक्ति जो एक पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के हिस्से का संचालन करने का अधिकार हैः

(viii) कोई भी व्यक्ति जो एक पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए अधिकृत या अपेक्षित हैः

(ix) कोई भी व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगी पंजीकृत सहकारी समिति का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदाधिकारी है, जो केंद्र सरकार या स्लेट सरकार या केंद्र, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम या सरकार या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करता है या प्राप्त करता हैः

(x) कोई भी व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या होर्ड का अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा के संचालन या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से कोई चयन करने के लिए नियुक्त किसी चयन समिति का सदस्य हैः

(xi) कोई भी व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या किसी शासी निकाय का सदस्य, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाता है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा परीक्षा आयोजित करने या आयोजित करने के संबंध में किया गया हैः

(xii) कोई भी व्यक्ति जो किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्थान का पदाधिकारी या कर्मचारी है, जो किसी भी तरीके से स्थापित हो, केंद्र सरकार या किसी पुरानी सरकार या स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त कर रहा हो।

स्पष्टीकरण I.-Persons उपरोक्त उपखंडों में से किसी के तहत आने वाले लोक सेवक हैं, चाहे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं।

स्पष्टीकरण 2.-Where शब्द "लोक सेवक" होता है, वे एक लोक सेवक की स्थिति के वास्तविक कब्जे में है जो हर व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा, जो भी कानूनी दोष उस स्थिति धारण करने के लिए उसके अधिकार में हो सकता है।

(14) ऊपर निर्दिष्ट परिभाषा के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के साथ पठित उपरोक्त धारा के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है। याचिकाकर्ता उस समय लोक सेवक नहीं था जैसा कि पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है। जबकि उसने कथित रूप से अपराध किया, वह पीसी अधिनियम के तहत परिभाषित सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। विद्वान राज्य का वकील यह इंगित करने में विफल रहा कि जांच एजेंसी द्वारा इस आशय का कोई सबूत एकत्र किया गया है कि याचिकाकर्ता ने एक लोक सेवक के रूप में काम किया और उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का कार्य क्लब के प्रबंधक के रूप में उनकी क्षमता में था। उस समय, वे सरकारी कर्मचारी के पद पर नहीं थे, जिसमें वे अकेले लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आ सकते थे। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह पता चल सके कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा था और एक सरकारी कर्मचारी था। राज्य और शिकायतकर्ता की ओर से तर्क यह है कि कथित कार्य के संदर्भ में, अभियुक्त ने अवैध संतुष्टि स्वीकार की थी, वह पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी होगा, क्योंकि दायित्व को निरपेक्ष बना दिया गया है और यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि उसने किस क्षमता में अपराध किया था।

(15) यह विवाद में नहीं है कि लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसके लिए प्राप्त किया गया प्रत्येक लाभ पीसी अधिनियम के प्रावधानों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। गुजरात राज्य बनाम मानशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी (I) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कॉलेज के एक व्याख्याता की सहजता पर विचार किया था, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिसने पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित रूप से अपराध किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त एक सरकारी महाविद्यालय के व्याख्याता ने परीक्षक के रूप में अपनी क्षमता में भ्रष्टाचार का कार्य किया है। धारा 5 (1) (घ) लागू नहीं होगी क्योंकि

यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है, जब वे एक परीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे तो वे लोक सेवक नहीं थे।

(16) भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक की परिभाषा पर रामनिवास शन्ना बनाम राज्य (2) में विचार किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सैनिक बोर्ड, अजमेर के अधीन एक सेवक लोक सेवक नहीं है। इसी तरह, S.K.Muttoo बनाम राज्य (दिल्ली) (3) में यह माना गया है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान के कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं।

(17) राज्य के विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए कि सहकारी समिति धारा 2 (ग) (ii) (viii) और (ix) के अंतर्गत आती है और समाज के कर्मचारी भी पी. सी. अधिनियम के अंतर्गत "लोक सेवक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4) और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम प्रभाकर पाओ और अन्य (5) पर भरोसा किया है। विद्वान पुराने वकील का तर्क टिकाऊ नहीं है, क्योंकि पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (ii) "स्थानीय प्राधिकरण" की सेवा या वेतन में एक व्यक्ति को संदर्भित करती है। क्लब "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सदस्यों का एक संघ है और इसका गठन किसी कानून के तहत नहीं किया गया है। जहां तक धारा 2 (सी) (viii) का संबंध है, आसानी भी उसी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि याचिकाकर्ता कोई भी पद धारण नहीं करता है जिसके आधार पर उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य करने की आवश्यकता होती है। "सार्वजनिक कर्तव्य" को अधिनियम की धारा 2 (ख) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय का हित है और इस धारा में जोड़ा गया स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य में केंद्र, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम, या सरकार या सरकारी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रित या सहायता प्राप्त एक प्राधिकरण या निकाय शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है। जहां तक धारा 2 (ग) (ix) का संबंध है, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार और केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने या प्राप्त करने वाली पंजीकृत सहकारी समिति पर लागू होती है। क्लब सदस्यों का एक संघ है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया है कि यह सरकार या राज्य के किसी प्राधिकरण या निकाय के स्वामित्व, नियंत्रित या सहायता प्राप्त है। एसोसिएशन के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-8) में समाज के उद्देश्यों, उद्देश्यों और कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और क्लब के संविधान को भी उसमें परिभाषित किया गया है और इसकी सदस्यता विशेष रूप से पंचकूला के निवासियों और सामान्य रूप से अन्य लोगों के लिए खुली है। क्लब का प्रबंधन कार्यकारी समिति में निहित है जिसे नियुक्त और अधिकृत किया जा सकता है। एसोसिएशन के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-8) से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी सदस्य सदस्यता शुल्क के भुगतान और कार्यकारी समिति द्वारा चयन के अधीन नामांकित हैं। इसके अलावा सदस्यों को मासिक बिल का भुगतान करना होता है। इस प्रकार, उसी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक निजी सोसायटी है, जबकि पीसी अधिनियम में परिभाषित सहकारी समितियां क़ानूनों का निर्माण हैं। इसलिए, क्लब पीसी अधिनियम के तहत "सहकारी समिति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, विद्वान राज्य के वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी वर्तमान सहजता के तथ्यों में लागू नहीं होते हैं।

(18) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता हैः

(i) जिमखाना क्लब, पंचकूला किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा नहीं बनाया गया है।

(ii) जिमखाना क्लब। पंचकूला एक गैर-स्वामित्व वाला सदस्यों का क्लब है। क्लब के संघ के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-8) के अनुसार, यह खेल और खेलों के लिए एक स्थान प्रदान करने और मनोरंजन, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं के लिए एक विशाल पैमाने पर विविध गतिविधियों का आयोजन करता है। जिमखाना क्लब, पंचकूला को सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, बल्कि सदस्यों द्वारा चुनी गई कार्यकारी समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हुडा के अधिकारियों को संघ के ज्ञापन के अनुसार भुगतान पर क्लब का सदस्य बनना पड़ता है।

(iii) इस अदालत के समक्ष एकत्र किए गए और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से, इस स्तर पर यह अदालत प्रथम दृष्टया यह है कि जिमखाना क्लब के कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं जैसा कि पीसी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 173 Cr.P.C दिनांक 8.11.2011 (अनुलग्नक पी-3) आदेश दिनांक 7.9.2012 (अनुलग्नक पी-4) और आरोप पत्र दिनांक 7.9.2012 (अनुलग्नक पी-5) के तहत रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। तथापि, अन्वेषण अभिकरण पी. सी. अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन परिभाषित सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन के संबंध में किसी साक्ष्य का पता लगाने के लिए आगे जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय का क्लब में हित है और क्लब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर रहा है और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा)**